राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 70( )ग्रावि/नरेगा/प्रशि./मु.ज.स्वा.अभि./IEC/2015–16 जयपुर, दिनांक 24.01.2016

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में राज्य के 3000 गांव में जल अभियान की गतिविधियां संचालित कर जल बजट अनुसार कृषि, पेयजल, पशु, व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में जल की आवश्यकता की पूर्ती की जानी है। प्रथम चरण के 3000 गांव को जल उपलब्धता हेतु आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रत्येक गांव की डी.पी.आर. तैयार कर राज्य स्तर से अनुमोदित की गई है। जिसके तहत जल संरक्षण एवं जल संग्रहण के कार्य कराये जाने हैं।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का प्रारम्भ राज्य में 27 जनवरी 2016 से किया जा रहा है। इस हेतु प्रत्येक गांव की तैयार की गई डी.पी.आर. में जिन कार्यों को महात्मा गांधी नरेगा की निधियों से सम्पादित / क्रियान्वित कराये जाने हैं, इस सम्बन्ध में निम्न लिखित दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं –

1. प्रत्येक गांव/ ग्राम पंचायत की अनुमोदित डी.पी.आर. में शामिल कार्यों की सूची मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के जिला नोडल प्रभारी से अबिलम्ब प्राप्त की जावे।
2. डी.पी.आर. में शामिल कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधान एवं मापदण्ड अनुसार अविलम्ब जारी की जावे।
3. महात्मा गांधी नरेगा से स्वीकृत होने वाले कार्यों को 30 जून 2016 तक आवश्यक रुप से पूर्ण कराया जावे।
4. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान हेतु तैयार की गई डी.पी.आर. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) के निर्देशन में तैयार की गई है। अतः उक्त कार्य महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक कार्य योजना में शामिल करने की कार्यवाही आवश्यक रुप से पूर्ण कर ली गई होगी।
5. महात्मा गांधी नरेगा से स्वीकृत किये जाने वाले कार्य यदि आलौच्य वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में शामिल नहीं है, तो विभाग स्तर पर पूर्व में जारी दिशा निर्देश अनुसार पूरक प्लान में शामिल कर स्वीकृति की कार्यवाही की जावे।

6. महात्मा गांधी नरेगा में स्वीकृत होने वाले कार्यों पर श्रम नियोजन हेतु श्रमिकों के मांग पत्र प्राप्त कर ऑनलाईन मस्टररोल प्राप्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जावे।
7. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत स्वीकृत होने वाले कार्यों को 30 जून 2016 तक आवश्यक रुप से पूर्ण कराया जाना है। यदि किसी ग्राम विशेष में रोजगार पर नियोजन हेतु श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत के अन्य गांवों के मजदूरों को भी कार्यों पर नियोजित किया जा सकता है।
8. 5 कि0मी0 से अधिक दूरी (त्रिज्या/ radius)के कार्यस्थल पर श्रमिकों के नियोजन की स्थिति में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के अनुसूची 2 (14) के प्रावधान अनुसार श्रमिक को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चा को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रुप में मजदूरी दर के 10% का संदाय(भुगतान) किया जावे।
9. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में व्यक्तिगत लाभ के कार्यों को प्राथमिकता से सम्पादित कराने की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

21/11/16

(रोहित कुमार)
आयुक्त, (ईजीएस)

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ठ सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण।
2. विशिष्ठ सहायक, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्रावि. एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, पंरावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, ग्रा.वि.।
6. निजी सचिव, निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग।
7. नोडल ऑफीसर, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान ग्रावि0/पंरावि/जल ससांधन/जन स्वा0अभि0/वन एवं पर्यावरण/कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) समस्त राजस्थान ।
9. मुख्य कार्य0 अधि0 एवं अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) जिला परिषद समस्त।
10. अति0 आयुक्त प्रथम (ईजीएस) वेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

21/11/2016

परि.निदे.एवं सं. सचिव (ईजीएस)